वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा........

पत्रांक–08 / लो०से०अ०–02–16 / 2013,सा०प्र०.........19621......... /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 27-12-13

विषयः– **तत्काल सेवा लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के धारा–3 में वर्णित प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत की जाने वाली निम्न तीन सेवाओं को **''तत्काल सेवा''** के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैः–

i. जाति प्रमाण पत्र।
ii. आवासीय प्रमाण पत्र।
iii. आय प्रमाण पत्र।

1. इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी पूर्ववत नाम–निर्दिष्ट लोक सेवक होगे।
2. इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की नियत समय–सीमा दो कार्य दिवस होगी।
3. आवेदक को पूर्ववत् आवेदन जमा करने पर पावती दी जाएगी एवं पावती पर 'तत्काल सेवा' अंकित रहेगा।
4. इस सेवा के लिए भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. इन सेवाओं के तत्काल सेवा के आवेदन के साथ आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य के रूप में समूह–'क' एवं सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु समूह–'ख' में वर्णित कागजातों में से एक–एक अनिवार्य रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा (अनु0–I संलग्न)।

यदि आवेदक के पास समूह–'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हों तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी / पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। (जॉच पत्र का नमूना अनु0–II)।

6. इस हेतु प्रत्येक प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय के लिए एक एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन किया जाए एवं आवश्यकतानुरूप अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।

7. अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रखण्ड स्तरीय किसी अन्य पदाधिकारी को प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।
8. आवेदन के साथ संलग्न वांछित कागजातों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात् प्रमाण पत्र नियत समय–सीमा (दो कार्य दिवस) के अधीन निर्गत कर दिया जाएगा, परन्तु उक्त आवेदन की जांच इन सेवाओं को सामान्य रूप से निर्गत करने हेतु निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्व की भाँति हीं की जाएगी एवं सत्यापन के क्रम में असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र को रद्द कर इसकी सूचना **''अधिकार सॉफ्टवेयर''** में दर्ज कर दी जाएगी।
9. तत्काल सेवा के तहत निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में **''तत्काल सेवा''** अंकित होगा एवं इसके अधोभाग पर यह अंकित रहेगा कि ''इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व इसकी बैधता की जांच सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर प्रमाण पत्र का आई.डी. नम्बर डालकर अवश्य कर लिया जाए।''
10. 'तत्काल सेवा' के क्रियान्वयन हेतु 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किए गए है, जिसकी विस्तृत विवरणी संलग्न है (अनु.–**III**)।
11. दिनांक 24.12.2013 को मुख्यालय स्तर पर आयोजित नोडल पदाधिकारियों/आई.टी. प्रबंधकों की बैठक में उन्हें 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों एवं 'अधिकार' सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्त्तन के विषय में प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है। जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु उन्हें मिशन द्वारा तैयार किया गया पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन भी उपलब्ध करा दिया गया है।

    'तत्काल सेवा' के सुगम क्रियान्वयन हेतु अनुरोध है कि इस हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं आई.टी. से संबंधित कर्मियों के लिए यथाशीघ्र प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।
12. सामान्य रूप से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था समानांतर रूप से पूर्ववत बनी रहेगी।
13. अपील के प्रावधान भी पूर्ववत रहेंगे।

14. 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों एवं चेक लिस्ट की जानकारी हेतु सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालयों में सूचना पट्ट का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।
15. 'तत्काल सेवा' का क्रियान्वयन दिनांक 15-1-2014 से प्रारंभ किया जाए एवं इसके पूर्व सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली जाए।

कृपया उक्त निदेशों से सभी सम्बन्धित अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

अनु0—यथोक्त।

(डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—08 / लो०से०अ०—02—16 / 2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—08 / लो०से०अ०—02—16 / 2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि e-District से संबंधित चार जिलों में 'तत्काल सेवा' के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र आवश्यक परिवर्त्तन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—08 / लो०से०अ०—02—16 / 2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—08 / लो०से०अ०—02—16 / 2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः— सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—08 / लो०से०अ०—02—16 / 2013,सा०प्र० 19621 **दिनांक** 27.12.13

प्रतिलिपिः— विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।